NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 04-02-2026

विषय सूची

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता नीति को लेकर मेटा और व्हाट्सऐप की कठोर आलोचना

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

भारत में मृत्युदंड

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

उपकक्षीय पर्यटन

भारत द्वारा SFDR प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाले विशिष्ट समूह में प्रवेश

कृषि अवसंरचना निधि

VOPPA आदेश, 2025

ऋण-से-जीडीपी अनुपात

नमस्ते (NAMASTE) योजना के अंतर्गत अपशिष्ट उठाने वालों की गणना

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता नीति को लेकर मेटा और व्हाट्सऐप की कठोर आलोचना

संदर्भ

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप और उसकी मूल कंपनी मेटा को "निगरानी पूँजीवाद" (surveillance capitalism) मॉडल अपनाने तथा भारतीय उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता अधिकार का उल्लंघन करने के लिए डेटा साझाकरण एवं वाणिज्यिक शोषण के माध्यम से कड़ी चेतावनी दी।

पृष्ठभूमि

- 2021 में, व्हाट्सऐप ने अपनी सेवा शर्तों को अद्यतन किया, जिसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को अपनी मेटाडाटा जानकारी मूल कंपनी मेटा (तत्कालीन फेसबुक) के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया।
- यूरोपीय संघ के विपरीत, जहाँ सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) ने इस कदम को रोक दिया था, भारतीय उपयोगकर्ताओं को "टेक-इट-ऑर-लीव-इट" का अंतिम विकल्प दिया गया: शर्तें स्वीकार करें या प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच खो दें।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रभुत्व के दुरुपयोग के रूप में पहचाना।
- 2024 में, CCI ने ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया और यह टिप्पणी की कि लिया गया "सहमति" वास्तव में "निर्मित" और बाध्यकारी थी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित प्रमुख मुद्दे

- **जनसामान्य की असुरक्षा:** ऐसे देश में जहाँ व्हाट्सऐप बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और आजीविका के लिए एक "डिजिटल उपयोगिता" बन चुका है, "ऑप्ट-आउट" करना सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का पर्याय बन जाता है।
- **वाणिज्यिक शोषण:** मेटा को उपयोगकर्ता व्यवहार का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाता है, जैसे क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म विज्ञापन (इंस्टाग्राम, फेसबुक) के माध्यम से, जिससे उपयोगकर्ता "उत्पाद" में बदल जाते हैं और उन्हें कोई राजस्व हिस्सा नहीं मिलता।
  - **एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के बावजूद:** संदेश सुरक्षित हो सकता है, परंतु व्यवहार संबंधी मेटाडाटा ("डेटा के भंडार") का अत्यधिक बाज़ार मूल्य होता है।
- **स्पष्टता का अभाव:** जटिल कानूनी शब्दावली ग्रामीण/गरीब उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम है। न्यायालय ने उदाहरण दिया कि तमिलनाडु का एक विक्रेता अंग्रेज़ी शर्तों को समझने में असमर्थ है।
- **शक्ति का असंतुलन:** न्यायालय ने देखा कि प्लेटफ़ॉर्म उपभोक्ताओं की "आसक्ति" का लाभ उठाता है और उन्हें उनकी सूचित सहमति के बिना उपयोगकर्ता से "उत्पाद" में बदल देता है।
- **DPDP अधिनियम (2023) की कमी:** यद्यपि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम राईट टू फॉरगेट और डेटा प्रसंस्करण की सीमाओं को संबोधित करता है, न्यायालय ने कहा कि इसमें "किराया-साझाकरण" (rent-sharing) का प्रावधान नहीं है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को DPDP अधिनियम की तुलना यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवाएँ अधिनियम (DSA) से करने का निर्देश दिया।

भारत का डेटा संरक्षण ढाँचा

- **गोपनीयता का मौलिक अधिकार:** *न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017)* में सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी और इसे गरिमा, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता से जोड़ा।
- **न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति (2017):** पुट्टस्वामी निर्णय के बाद गठित की गई। इसने कंपनियों को डेटा न्यासी (data fiduciaries) मानने और शक्ति असंतुलन के विरुद्ध सशक्त सुरक्षा उपायों की सिफारिश की।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** भारत का प्रथम व्यापक डिजिटल व्यक्तिगत डेटा कानून।
  - प्रमुख प्रावधानों में सहमति-आधारित डेटा प्रसंस्करण, उद्देश्य की सीमा और डेटा न्यूनतमकरण शामिल हैं।

- प्रवर्तन हेतु भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड स्थापित करता है।
- तथापि, सर्वोच्च न्यायालय ने आलोचना की कि यह मुख्यतः गोपनीयता संरक्षण पर केंद्रित है, परंतु डेटा के आर्थिक मूल्य या डेटा मुद्रीकरण के लिए क्षतिपूर्ति को संबोधित नहीं करता।
- **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI):** डेटा के दुरुपयोग को प्रभुत्व के दुरुपयोग का एक रूप माना।

स्रोत: TH

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)

संदर्भ

- हाल ही में MPLADS (MPLADS) निधियों के कथित दुरुपयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और आलोचकों ने इस योजना को समाप्त करने की माँग की।

योजना को समाप्त करने के लिए आलोचनात्मक तर्क

- आलोचकों, जिनमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) भी शामिल है, ने इसके निरसन के पक्ष में निम्न आधार प्रस्तुत किए:
  - **शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन:** यह योजना विधायकों (सांसदों) को कार्यपालिका संबंधी कार्य करने की अनुमति देती है (विशिष्ट स्थानीय परियोजनाओं पर निर्णय लेना)। इससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच की रेखा अस्पष्ट हो जाती है।
  - **संघवाद संबंधी चिंताएँ:** MPLADS के अंतर्गत आने वाले विषय (स्वच्छता, स्थानीय सड़कें आदि) राज्य सूची और स्थानीय निकायों (73वें/74वें संशोधन) के अंतर्गत आते हैं। आलोचकों का कहना है कि संघ सरकार स्थानीय शासन के क्षेत्र में "हस्तक्षेप" कर रही है।
  - **अक्षमता:** कैग (CAG) की रिपोर्टें लगातार यह दर्शाती हैं कि निधियाँ प्रायः "वर्तमान परिसंपत्तियों के सुधार" में व्यय की जाती हैं, न कि "स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों" के निर्माण में।

MPLADS के बारे में

- **संक्षेप:** संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 1993 में प्रारंभ किया गया और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- **उद्देश्य:** सांसदों को स्थानीय आवश्यकताओं जैसे पेयजल, स्वच्छता, सड़कें, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना आदि के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बनाना।
- **क्रियान्वयन तंत्र:** सांसद केवल कार्यों की अनुशंसा करते हैं, उनका क्रियान्वयन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। परियोजनाएँ सरकारी विभागों, ट्रस्टों या सहकारी संस्थाओं द्वारा लागू की जाती हैं, जिन्हें क्रियान्वयन जिला प्राधिकरण (IDA), सामान्यतः जिला कलेक्टर, द्वारा चुना जाता है, जिससे कार्यपालिका का नियंत्रण सुनिश्चित होता है।
- **निधि आवंटन:** प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष ₹5 करोड़ की राशि MPLADS के अंतर्गत दी जाती है। यह निधि वर्तमान विकास योजनाओं को पूरक करने और स्थानीय कमी को दूर करने हेतु होती है।
  - इसमें सांसदों को वार्षिक रूप से कम से कम 15% निधि अनुसूचित जाति (SC) बहुल क्षेत्रों और 7.5% निधि अनुसूचित जनजाति (ST) बहुल क्षेत्रों के लिए अनुशंसित करनी होती है।
- **गैर-लुप्त निधि:** MPLADS निधि गैर-लुप्त होती है, अर्थात अप्रयुक्त निधि आगामी वर्षों में स्थानांतरित कर दी जाती है, जिससे परियोजनाओं की निरंतरता सुनिश्चित होती है।
  - **भौगोलिक कवरेज:** लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं, राज्यसभा सांसद अपने निर्वाचित राज्य में और नामित सांसद पूरे देश में कहीं भी अनुशंसा कर सकते हैं।
  - **अपवाद:** सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र/राज्य से बाहर प्रति वर्ष ₹25 लाख तक की अनुशंसा कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित जिले के लिए ₹1 करोड़ तक की अनुशंसा कर सकते हैं।

न्यायिक दृष्टिकोण

- **सर्वोच्च न्यायालय (2010):** *भीम सिंह बनाम भारत संघ* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने MPLADS की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
  - न्यायालय ने कहा कि भारत में "शक्तियों का पृथक्करण" कठोर नहीं है और जब तक सांसद की भूमिका "अनुशंसा" तक सीमित है और जिला प्राधिकरण "क्रियान्वयन" करता है, योजना वैध है।
- **जवाबदेही व्यवस्था:** न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग मात्र योजना को समाप्त करने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि कैग ऑडिट और संसदीय समितियों जैसी जाँच व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं।

आगे की राह

- MPLADS की निगरानी व्यवस्था को वास्तविक समय डिजिटल डैशबोर्ड, परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग और समयबद्ध पूर्णता मानकों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि विलंब कम हो तथा परिणाम बेहतर हों।
- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनुशंसित कार्यों, निधि वितरण, उपयोग प्रमाणपत्र और पूर्णता स्थिति का जिला स्तर पर सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं में दुरुपयोग, निधि विचलन और राजनीतिक पक्षपात को रोकने हेतु तृतीय-पक्ष ऑडिट एवं सामाजिक ऑडिट को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।
- MPLADS को जिला योजना प्रक्रियाओं के साथ बेहतर रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के साथ अभिसरण सुनिश्चित हो, जो 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधनों की भावना के अनुरूप है।

स्रोत: TH

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

समाचार में

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को प्रतिस्थापित करते हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026

- ये नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं और 1 अप्रैल, 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे।
- नियमों में 'प्रदूषक भुगतान करे/ पॉल्यूटर पेज' (Polluter Pays) सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का प्रावधान है, जो अनुपालन न करने की स्थिति में लागू होगा। इसमें बिना पंजीकरण संचालन, गलत रिपोर्टिंग, जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करना या अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी स्थितियाँ शामिल हैं।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाएंगी।

मुख्य विशेषताएँ

- **स्रोत पर ठोस अपशिष्ट का चार-श्रेणियों में पृथक्करण:** SWM नियम, 2026 के अंतर्गत स्रोत पर चार-श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य किया गया है।
  - अपशिष्ट को गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट में विभाजित करना आवश्यक होगा।

अपशिष्ट के प्रकार

- ***गीला अपशिष्ट:*** रसोई का अपशिष्ट, सब्जियाँ, फल के छिलके, मांस, फूल आदि, जिन्हें निकटतम सुविधा पर कम्पोस्ट या बायो-मीथनेशन द्वारा प्रसंस्कृत किया जाएगा।
- ***सूखा अपशिष्ट:*** प्लास्टिक, कागज़, धातु, काँच, लकड़ी और रबर आदि, जिन्हें सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र (MRFs) तक ले जाकर छँटाई और पुनर्चक्रण किया जाएगा।
- ***स्वच्छता अपशिष्ट:*** प्रयुक्त डायपर, सैनिटरी नैपकिन, टैम्पॉन और कंडोम आदि, जिन्हें सुरक्षित रूप से लपेटकर अलग रखा जाएगा।
- ***विशेष देखभाल अपशिष्ट:*** पेंट के डिब्बे, बल्ब, पारा थर्मामीटर और दवाएँ आदि, जिन्हें अधिकृत एजेंसियों द्वारा एकत्र किया जाएगा या निर्दिष्ट संग्रह केंद्रों पर जमा किया जाएगा।

- **थोक अपशिष्ट उत्पादकों (Bulk Waste Generators) की स्पष्ट परिभाषा:** 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले संस्थान, प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक जल उपभोग करने वाले, अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले संस्थान थोक अपशिष्ट उत्पादक कहलाएँगे।
  - इसमें सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और आवासीय सोसायटियाँ शामिल हैं।
  - इन पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि उनका अपशिष्ट पर्यावरणीय रूप से एकत्र, परिवहन और प्रसंस्कृत किया जाए, जिससे शहरी स्थानीय निकायों पर भार कम हो।
  - नियम स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और विस्तारित थोक अपशिष्ट जनक उत्तरदायित्व (EBWGR) लागू करने की अनुमति देते हैं, जिससे BWGs अपने अपशिष्ट के लिए उत्तरदायी बनते हैं। इसमें ऑन-साइट गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण या EBWGR प्रमाणपत्र आवश्यक होगा, जो कुल ठोस अपशिष्ट का लगभग 30% कवर करता है।
- **अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु भूमि आवंटन में तेजी और ऑनलाइन निगरानी:** नियम 5 टन प्रतिदिन से अधिक क्षमता वाले अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए श्रेणीबद्ध मानदंड और बफर ज़ोन स्थापित करते हैं, जिससे भूमि आवंटन में तीव्रता आए। CPCB क्षमता और प्रदूषण भार के आधार पर दिशा-निर्देश जारी करेगा।
  - एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी चरणों को ट्रैक करेगा, जिसमें पुराना अपशिष्ट उपचार भी शामिल है। यह पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण, प्राधिकरण, रिपोर्टिंग और ऑडिट प्रस्तुतियाँ सक्षम करेगा, जिससे भौतिक प्रक्रियाओं का स्थान लिया जाएगा तथा पारदर्शिता बढ़ेगी।
- **स्थानीय निकायों और MRFs की जिम्मेदारियाँ:** संशोधित नियमों के अंतर्गत स्थानीय निकायों को MRFs के साथ समन्वय में ठोस अपशिष्ट का संग्रह, पृथक्करण और परिवहन करना होगा। MRFs को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है और वे ई-अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट धाराओं के लिए जमा केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं।
  - स्थानीय निकायों को कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और ग्रामीण स्वच्छता विभागों को अर्ध-शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
- **उद्योगों द्वारा RDF का उपयोग:** नए नियमों में RDF (अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन) को उच्च-ऊष्मीय ईंधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्लास्टिक, कागज़ और वस्त्र जैसे गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को काटकर एवं सुखाकर बनाया जाता है। औद्योगिक इकाइयों, जिनमें सीमेंट और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं, को छह वर्षों में RDF उपयोग को 5% से बढ़ाकर 15% करना होगा।
- **लैंडफिल पर प्रतिबंध और पुरानी डंप साइटों का उपचार:** नियम लैंडफिल प्रतिबंधों को कड़ा करते हैं, जिससे केवल गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर-ऊर्जा-प्राप्त और निष्क्रिय अपशिष्ट ही डाला जा सके। असंगठित अपशिष्ट पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा, ताकि पृथक्करण को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - नियम वार्षिक लैंडफिल ऑडिट, जिला कलेक्टरों द्वारा निगरानी और समयबद्ध मानचित्रण, बायोमाइनिंग तथा बायोरिमेडिएशन को अनिवार्य करते हैं। प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत की जाएगी।
- **पर्वतीय क्षेत्रों और द्वीपों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** नियम पर्वतीय क्षेत्रों और द्वीपों के लिए विशेष प्रावधान लाते हैं, जिनमें पर्यटक उपयोगकर्ता शुल्क, पर्यटक आगमन का नियमन, गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु निर्दिष्ट संग्रह केंद्र एवं होटल/रेस्तरां द्वारा विकेन्द्रीकृत गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण शामिल है।
  - इसके अतिरिक्त, केंद्रीय और राज्य स्तरीय समितियाँ गठित की जाएँगी, जिनकी अध्यक्षता मुख्य सचिव या केंद्रशासित प्रदेश प्रमुख करेंगे, ताकि CPCB को प्रभावी क्रियान्वयन पर सलाह दी जा सके।

महत्त्व

- भारत प्रतिवर्ष 620 लाख टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसमें अधिकांश एकत्र किया जाता है, परंतु

केवल कुछ ही प्रसंस्कृत होते हैं और कुछ लैंडफिल में डाले जाते हैं। केंद्र अपशिष्ट प्रबंधन सुधार हेतु परिपत्र अर्थव्यवस्था सुधारों की योजना बना रहा है।

- यह लैंडफिल पर निर्भरता कम करता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकता है।
- वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण से वेक्टर-जनित रोगों का जोखिम न्यूनतम होता है।
- यह परिपत्र अर्थव्यवस्था और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को एकीकृत करता है, विशेष रूप से कुशल अपशिष्ट पृथक्करण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 के स्वच्छ, रहने योग्य शहरों के लक्ष्यों का समर्थन करता है।

चुनौतियाँ

- पूर्व की विफलताएँ नगर स्तर पर कमजोर प्रवर्तन को दर्शाती हैं।
- कई शहरों में पर्याप्त कम्पोस्टिंग और पुनर्चक्रण सुविधाओं का अभाव है।
- घरेलू स्तर पर पृथक्करण असंगत है, जागरूकता कम होने के कारण।
- छोटे नगरपालिकाओं के पास आधुनिक अपशिष्ट प्रणालियों हेतु पर्याप्त निधि नहीं है।
- कचरा बीनने वालों और अपशिष्ट श्रमिकों को औपचारिक समावेशन एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।

आगे की राह

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 का उद्देश्य अनुशासित अपशिष्ट शासन स्थापित करना है, जो प्रभावी क्रियान्वयन, अवसंरचना और नागरिक सहभागिता पर आधारित होगा।
- इनकी सफलता के लिए आवश्यक है कि नगरपालिकाओं की क्षमता को प्रशिक्षण और वित्तपोषण के माध्यम से सुदृढ़ किया जाए, नागरिकों को जागरूकता अभियानों द्वारा जोड़ा जाए, डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित अपशिष्ट निगरानी तकनीकों को अपनाया जाए, तथा पुनर्चक्रण एवं नवाचार हेतु निजी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की जाए।
- नियमों को व्यापक जलवायु, प्लास्टिक और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है, ताकि भारत की अपशिष्ट चुनौती को सतत शहरी विकास के अवसर में परिवर्तित किया जा सके।

स्रोत :IE

भारत में मृत्युदंड

संदर्भ

- नालसर विश्वविद्यालय विधि के *स्क्वेयर सर्कल क्लिनिक* द्वारा प्रकाशित मृत्युदंड पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विगत तीन वर्षों में एक भी मृत्युदंड की पुष्टि नहीं की है, जो मृत्युदंड के प्रति अत्यंत प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **अधीनस्थ न्यायालय मृत्युदंड देना जारी रखते हैं:** सत्र न्यायालयों ने 2016 से 2025 के बीच 1,310 मृत्युदंड दिए, जिनमें केवल 2025 में ही 128 मृत्युदंड शामिल हैं, जबकि उच्च न्यायिक स्तरों पर संदेह बढ़ रहा है।
- **उच्च न्यायालयों में कम पुष्टि दर:** 1,310 मृत्युदंडों में से 842 मामले उच्च न्यायालयों तक पहुँचे। इनमें से केवल 70 मृत्युदंड (सिर्फ 8.31%) की पुष्टि हुई।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि किए गए मृत्युदंड निरस्त किए:** जहाँ उच्च न्यायालयों ने मृत्युदंड की पुष्टि की, वहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय ने विगत तीन वर्षों में एक भी मृत्युदंड को बरकरार नहीं रखा।
  - 37 ऐसे मामलों में से अधिकांश का परिणाम बरी या आजीवन कारावास में परिवर्तन रहा।
- **2025 में रिकॉर्ड बरी:** 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मृत्युदंड कैदियों को बरी किया, जो एक दशक में सबसे अधिक है।
- **बड़ा मृत्युदंड कैदी समूह:** भारत में 574 मृत्युदंड कैदी थे, जिनमें 24 महिलाएँ भी शामिल थीं (31 दिसंबर, 2025 तक)।
- **मृत्युदंड पर लंबा समय:** कैदियों ने औसतन पाँच वर्ष से अधिक मृत्युदंड पर बिताए, कुछ ने लगभग दस वर्ष तक बरी होने की प्रतीक्षा की।

- **व्यापक प्रक्रिया उल्लंघन:** 2025 में लगभग 95% मृत्युदंड सर्वोच्च न्यायालय के शमन और दंड निर्धारण संबंधी अनिवार्य दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना दिए गए।
- **विकल्पों की ओर झुकाव:** न्यायालय मृत्युदंड के विकल्प के रूप में बिना रिहाई के आजीवन कारावास को तीव्रता से स्वीकार करते जा रहे हैं।

मृत्युदंड क्या है?

- यह सबसे कठोर आपराधिक दंड है, जिसे सामान्यतः मृत्युदंड कहा जाता है, जिसमें राज्य गंभीरतम अपराधों के दोषी व्यक्ति को कानूनी रूप से फाँसी देता है।
- भारत में मृत्युदंड केवल 'अत्यंत विरल मामलों' में ही अनुमत है, यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया गया ताकि मृत्युदंड केवल तब दिया जाए जब आजीवन कारावास पूरी तरह अपर्याप्त हो।

भारत में कानूनी आधार

- मृत्युदंड अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते यह निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया द्वारा दिया गया हो।
- यह कुछ अपराधों के लिए *भारतीय न्याय संहिता (BNS)*, *गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA)* और अन्य विशेष क़ानूनों के अंतर्गत निर्धारित है।
- फाँसी केवल सभी न्यायिक उपायों के समाप्त होने और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दया याचिका पर निर्णय के बाद ही दी जाती है।

मृत्युदंड मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों (सत्र न्यायालयों) की भूमिका

- **प्राथमिक विचारण एवं दंड निर्धारण प्राधिकरण:** सत्र न्यायालय गंभीर अपराधों का विचारण करते हैं, जो मृत्युदंड से दंडनीय होते हैं। वे साक्ष्य की जाँच करते हैं, साक्षी को सुनते हैं और दोषी या निर्दोष का निर्धारण करते हैं।
- **दंड निर्धारण कार्य:** यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है, तो सत्र न्यायालय अलग से दंड निर्धारण सुनवाई करता है।
  - न्यायालय को अपराध की प्रकृति जैसी *गंभीर परिस्थितियों* और अभियुक्त की पृष्ठभूमि, मानसिक स्वास्थ्य, सुधार की संभावना जैसी *शमन परिस्थितियों* का तुलनात्मक मूल्यांकन करना होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश (2022) के अनुसार, न्यायालय को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, जेल आचरण और सामाजिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है।
- **उच्च न्यायालय को संदर्भ:** सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया मृत्युदंड स्वतः प्रभावी नहीं होता।
  - इसे *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)* के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि करना आवश्यक है।
  - उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक मृत्युदंड की पुष्टि, परिवर्तन या निरस्तीकरण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
  - उच्च न्यायालय तथ्यों, साक्ष्यों और विधि का पुनर्मूल्यांकन करता है, केवल प्रक्रिया की शुद्धता नहीं। वे यह भी जाँचते हैं कि 'अत्यंत विरल' परीक्षण सही ढंग से लागू हुआ है या नहीं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका

- **अंतिम न्यायिक प्राधिकरण:** सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड मामलों में अंतिम अपीलीय न्यायालय है।
- **संवैधानिक और प्रक्रिया संबंधी निगरानी:** न्यायालय अनुच्छेद 14 और 21 का अनुपालन सुनिश्चित करता है, निष्पक्ष जाँच और विचारण, उचित दंड निर्धारण सुनवाई एवं शमन पर विचार करता है।

- **दंड निर्धारण न्यायशास्त्र:** सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड कानून को 'अत्यंत विरल' सिद्धांत विकसित करके, व्यक्तिगत दंड निर्धारण अनिवार्य करके और कठोर प्रक्रिया सुरक्षा की आवश्यकता रखकर आकार दिया है।
- **पुनर्विचार और उपचारात्मक अधिकारिता:** अपील खारिज होने के बाद भी न्यायालय पुनर्विचार याचिकाएँ और असाधारण मामलों में उपचारात्मक याचिकाएँ सुन सकता है।
- **दया याचिका संबंध:** न्यायालय दया याचिका निर्णयों में विलंब, मनमानी या प्रक्रिया उल्लंघन की समीक्षा कर सकता है, जब सभी न्यायिक उपाय समाप्त हो चुके हों।

मृत्युदंड में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका

- **भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72):** राष्ट्रपति को क्षमा, स्थगन, राहत, दंड माफी और दंड परिवर्तन का अधिकार है। यह उन मामलों में लागू होता है जहाँ:
  - दंड मृत्युदंड है;
  - अपराध संघीय कानून के अंतर्गत है;
  - दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया है।
- **राज्यपाल (अनुच्छेद 161):** राज्यपाल को राज्य कानून के अंतर्गत अपराधों के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं। हालाँकि, वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, परंतु उसे आजीवन कारावास या कम दंड में परिवर्तित कर सकता है।

भारत में मृत्युदंड से संबंधित प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- **त्रुटिपूर्ण दोषसिद्धियों की उच्च दर:** सत्र न्यायालयों द्वारा दिए गए मृत्युदंड का बड़ा हिस्सा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है।
  - यह जाँच, अभियोजन और विचारण स्तर पर प्रणालीगत खामियों को दर्शाता है, विशेषकर गरीब एवं हाशिए पर रहने वाले अभियुक्तों के मामलों में।
- **अपर्याप्त दंड निर्धारण सुनवाई और शमन:** सत्र न्यायालय प्रायः जल्दबाज़ी या औपचारिकता निभाने वाली दंड निर्धारण सुनवाई करते हैं।
  - मानसिक बीमारी, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और सुधार की संभावना जैसे शमन कारकों को प्रायः नज़रअंदाज़ किया जाता है।
- **न्यायिक प्रक्रिया सुरक्षा का अनुपालन न होना:** सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश (2022) के बावजूद, सत्र न्यायालय नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट और जेल आचरण अभिलेख प्राप्त करने में विफल रहते हैं।
  - इससे दंड निर्धारण की निष्पक्षता कमजोर होती है और गलत दंड का जोखिम बढ़ता है।
- **सामाजिक-आर्थिक और जातिगत पक्षपात:** मृत्युदंड कैदी अनुपातहीन रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों से होते हैं।
  - विचारण स्तर पर प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी परिणामों को बिगाड़ती है।
- **लंबे विलंब और मानसिक आघात:** दोषसिद्धि, अपील और फाँसी के बीच लंबे विलंब से गंभीर मानसिक पीड़ा होती है, जिसे प्रायः 'मृत्युदंड घटना' कहा जाता है।
  - दया याचिकाओं पर निर्णय में विलंब इस समस्या को बढ़ाता है।

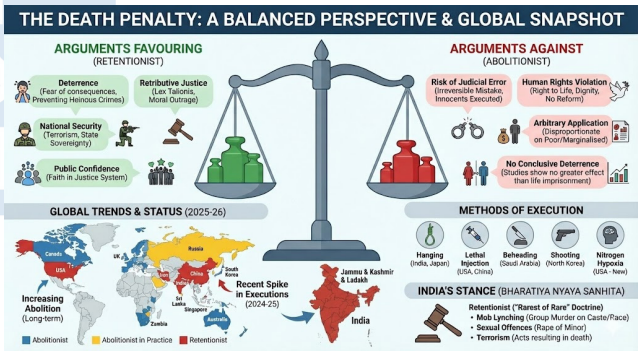

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty)

समाचार में

- विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि *न्यू स्टार्ट संधि* की समाप्ति से विश्व की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के परमाणु शस्त्रागार पर शेष अंतिम कानूनी बाध्यता समाप्त हो जाएगी।

पृष्ठभूमि

- START शब्द का उद्गम "रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (Strategic Arms Reduction Treaty)" से

हुआ है। प्रथम समझौता, START-I, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बीच 1991 में हस्ताक्षरित हुआ और 1994 में प्रभावी हुआ।

- START-I ने प्रत्येक पक्ष को 6,000 परमाणु हथियारों और 1,600 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) तक सीमित किया, परंतु यह 2009 में समाप्त हो गया।
- इसके बाद सामरिक आक्रामक न्यूनीकरण संधि [*Strategic Offensive Reductions Treaty (SORT)*], जिसे *मॉस्को संधि* भी कहा जाता है, और बाद में *न्यू स्टार्ट संधि* (2010 में हस्ताक्षरित एवं 2011 में प्रभावी) आई।
- न्यू स्टार्ट संधि ने प्रत्येक पक्ष के लिए तैनात सामरिक वारहेड्स की संख्या 1,550 तक सीमित की, साथ ही 700 से अधिक तैनात भूमि या पनडुब्बी-प्रक्षेपित मिसाइलें और बमवर्षक विमान तथा कुल 800 प्रक्षेपक की सीमा तय की।

समाप्ति के निहितार्थ

- संधि के बिना, रूस और अमेरिका अपने शस्त्रागार को स्वतंत्र रूप से बढ़ा सकते हैं, जिससे वैश्विक तनाव के बीच परमाणु हथियारों की नई प्रतिस्पर्धा का जोखिम बढ़ेगा।
- किसी ढाँचे की अनुपस्थिति परमाणु जोखिमों को बढ़ाती है और उन पारदर्शिता एवं स्थिरता को समाप्त करती है जो शस्त्र नियंत्रण समझौते प्रदान करते हैं।

स्रोत: TOI

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

समाचार में

- PM VIKAS ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से लगभग 1.51 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

- यह एक *केंद्रीय क्षेत्र योजना* है जिसे *अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय* द्वारा लागू किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलें शामिल हैं:
  - कौशल विकास और प्रशिक्षण (पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक)
  - महिला नेतृत्व और उद्यमिता
  - शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से)
  - अवसंरचना विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)
- **अल्पसंख्यक समुदाय:** मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और ज़ोरोस्ट्रियन (पारसी)।

क्या आप जानते हैं?

- मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और ज़ोरोस्ट्रियन (पारसी) को *राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992* की धारा 2(क) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

विशेषताएँ

- क्रियान्वयन एजेंसियों को मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) में निर्दिष्ट योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी।
- गैर-पारंपरिक (आधुनिक) कौशल विकास के लिए, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कम से कम 75% को रोजगार (वेतन, स्वरोजगार या अप्रेंटिसशिप) में नियुक्त करना होगा, जिनमें न्यूनतम 50% को *संगठित क्षेत्र* में नियुक्त करना आवश्यक है, जैसा कि NSQF/कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स में परिभाषित है।

स्रोत: PIB

उपकक्षीय पर्यटन

समाचार में

- *ब्लू ओरिजिन* ने अपने *न्यू शेपर्ड उपकक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम* को कम से कम दो वर्षों के लिए स्थगित कर दिया है, ताकि *नासा* के *आर्टेमिस चंद्र लैंडर* के विकास को प्राथमिकता दी जा सके।

उपकक्षीय पर्यटन के बारे में

- उपकक्षीय पर्यटन उन अल्पावधि अंतरिक्ष उड़ानों को संदर्भित करता है जो 100 किमी *कार्मन रेखा* को पार करती हैं, जिसे बाह्य अंतरिक्ष की सीमा के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, परंतु पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश नहीं करतीं।
- ये उड़ानें परवलयिक पथ का अनुसरण करती हैं, जहाँ यान तीव्रता से ऊपर उठता है और फिर पृथ्वी पर लौट आता है।
- कक्षीय मिशनों के विपरीत, उपकक्षीय यान पृथ्वी की कक्षा में बने रहने हेतु आवश्यक उच्च क्षैतिज वेग प्राप्त नहीं करते।
- उड़ान की अवधि संक्षिप्त होती है, सामान्यतः लगभग 10–15 मिनट, जिससे उपकक्षीय पर्यटन कक्षीय अंतरिक्ष यात्रा की तुलना में काफी सस्ता और तकनीकी रूप से कम जटिल होता है।
- *कोस्टिंग चरण* के दौरान यात्री कुछ मिनटों के लिए सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (भारहीनता) का अनुभव करते हैं और पृथ्वी की वक्रता को अंतरिक्ष की श्यामता के विरुद्ध देख सकते हैं।

स्रोत: TH

भारत द्वारा SFDR प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाले विशिष्ट समूह में प्रवेश

समाचार में

- DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित *इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR)* से *सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR)* प्रौद्योगिकी का सफल प्रदर्शन किया, जिससे भारत की लंबी दूरी की वायु-से-वायु मिसाइल क्षमताओं में प्रगति हुई।

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) क्या है?

- SFDR एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है जो निरंतर बल प्रदान करने के लिए रैमजेट इंजन का उपयोग करती है। पारंपरिक रॉकेटों के विपरीत, यह एक *वायु-श्वसन प्रणाली* है, जिसका अर्थ है कि यह ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइज़र नहीं ले जाती, बल्कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करती है।
- चूँकि रैमजेट केवल उच्च गति पर कार्य करता है, मिसाइल को पहले *नोज़ल-रहित ठोस बूस्टर* द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है ताकि यह सुपरसोनिक गति (मैक 2+) तक पहुँच सके।

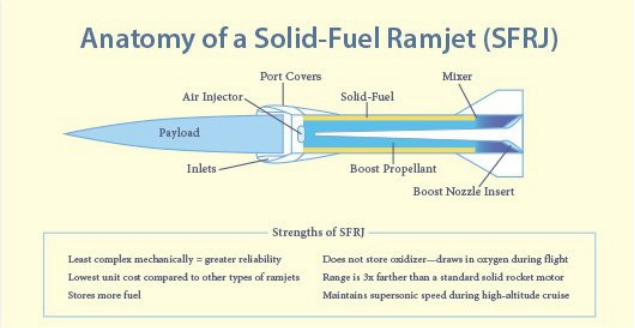

भारत के लिए सामरिक महत्व

- **लंबी दूरी की वायु-से-वायु मिसाइलें (LRAAM):** SFDR *अस्त्र मार्क-3* को शक्ति प्रदान करेगी, जिससे यह 150–300 किमी से अधिक दूरी पर उच्च गति से चलने वाले, चपल शत्रु विमानों को अवरोधित कर सकेगी।
- **विस्तारित "नो-एस्केप ज़ोन":** क्योंकि मिसाइल अंत तक "संचालित" रहती है, यह लक्ष्य के निकट उच्च-G मोड़ ले सकती है, जिससे शत्रु विमान के लिए इससे बच निकलना लगभग असंभव हो जाता है।
    - **भूमि-से-वायु अनुप्रयोग:** इसे भविष्य की SAM प्रणालियों (जैसे प्रस्तावित SAM-X) के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि हाइपरसोनिक या अत्यधिक चपल क्रूज़ मिसाइलों से रक्षा की जा सके।

स्रोत: TH

कृषि अवसंरचना निधि

समाचार में

- कृषि अवसंरचना निधि (AIF) ने 2020 से अब तक 1.5 लाख से अधिक परियोजनाओं के लिए ₹80,224.15 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिससे ₹1.27 लाख करोड़ का निवेश एकत्रित किया गया है।

कृषि अवसंरचना निधि (AIF)

- यह एक *केंद्रीय क्षेत्र योजना* है जिसका उद्देश्य *फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना* और *सामुदायिक कृषि*

परिसंपत्तियों के विकास हेतु मध्यम एवं दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण एकत्रित करना है।

- इसका ध्यान कृषि-लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने, फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने, आधुनिक भंडारण, प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन सुविधाओं को बढ़ावा देने तथा कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए *फार्म-गेट स्तर* पर अवसंरचना सुधारने पर है।
- योजना के अंतर्गत, बैंक और वित्तीय संस्थान भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी के साथ ऋण प्रदान करते हैं।
  - ऋण की अवधि अधिकतम 7 वर्ष है, जिसमें 2 वर्ष तक की *मोराटोरियम अवधि* शामिल है।
  - ₹2 करोड़ तक के ऋणों के लिए *क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE)* के अंतर्गत गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है।
  - सितंबर 2020 में *प्रधानमंत्री – किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)* के घटक B और C (ग्रिड-संलग्न कृषि पंपों का सौरकरण एवं स्वतंत्र सौर पंपिंग प्रणालियाँ) को AIF लाभों के लिए पात्र परिसंपत्तियों के रूप में अभिसरण मोड में शामिल किया गया।

स्रोत: PIB

VOPPA आदेश, 2025

समाचार में

- भारत सरकार ने *आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955* के अंतर्गत जारी *VOPPA आदेश, 2025* के माध्यम से खाद्य तेल मूल्य श्रृंखला पर नियामक निगरानी को सुदृढ़ किया है।

परिचय

- संशोधित आदेश सभी खाद्य तेल निर्माताओं, प्रोसेसरों, मिश्रणकर्ताओं और पुनःपैक करने वालों का *राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS)* एवं *VOPPA पोर्टल* पर अनिवार्य पंजीकरण करता है।
- पंजीकृत संस्थाओं को उत्पादन, भंडार, आयात, बिक्री और खाद्य तेलों (वनस्पति एवं मिश्रित तेल सहित) की खपत पर मासिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रभाव

- भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकताओं का लगभग 60% आयात करता है; VOPPA जमाखोरी/मूल्य अस्थिरता का सामना करता है और *बजट 2026* के राजकोषीय लक्ष्यों के बीच खाद्य सुरक्षा को समर्थन प्रदान करता है।

स्रोत: PIB

ऋण-से-जीडीपी अनुपात

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026–27 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय नीति के फोकस में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत दिया है, जिसमें अल्पकालिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से हटकर मध्यम अवधि के *ऋण-से-जीडीपी अनुपात* पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत का ऋण-से-जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2030–31 तक 50% तक लाया जाए, जिसमें ±1% की लचीलापन सीमा होगी।

ऋण-से-जीडीपी अनुपात के बारे में

- यह कुल सार्वजनिक ऋण को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापता है।
- यह किसी देश की ऋण सेवा और पुनर्भुगतान क्षमता को इंगित करता है।
- कम अनुपात का अर्थ है बेहतर राजकोषीय स्थिरता और निवेशकों का विश्वास।

यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?

- **राजकोषीय स्थिरता दृष्टिकोण:** उच्च ऋण सरकार की संकट के समय व्यय करने, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता को सीमित करता है। ऋण-आधारित लक्ष्यीकरण अंतर-पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करता है।
- **कोविड-उपरांत संदर्भ:** महामारी प्रोत्साहन और उच्च कल्याणकारी व्यय के बाद भारत का ऋण तीव्रता से बढ़ा।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा:** कई देश केवल राजकोषीय घाटे की सीमा के बजाय ऋण-आधारित एंकर का

उपयोग करते हैं। यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजकोषीय उत्तरदायित्व मानकों के अनुरूप बनाता है।

स्रोत: PIB

नमस्ते (NAMASTE) योजना के अंतर्गत अपशिष्ट उठाने वालों की गणना

समाचार में

- प्रथम बार, केंद्र सरकार ने *NAMASTE (यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना)* योजना के अंतर्गत अपशिष्ट उठाने वालों की राष्ट्रव्यापी गणना डेटा जारी किया है।
  - यह डेटा शहरी अनौपचारिक स्वच्छता कार्य में गहरी जाति-आधारित सामाजिक स्तरीकरण को उजागर करता है।

परिचय

- 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 52 लाख से अधिक अपशिष्ट उठाने वालों की गणना की गई, जिनमें से 84.5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं।
- दिल्ली और गोवा में अधिकांश अपशिष्ट उठाने वाले सामान्य वर्ग से हैं।

नमस्ते (NAMASTE) योजना के बारे में

- यह *सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय* द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र पहल के रूप में शुरू की गई है।
- योजना वित्त वर्ष 2024-25 से अपशिष्ट उठाने वालों को औपचारिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकृत करती है।
- यह मोबाइल ऐप के माध्यम से पहचान पत्र, सुरक्षा उपकरण, कौशल प्रशिक्षण, *आयुष्मान भारत-PMJAY* के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, *ई-श्रम* पंजीकरण और अपशिष्ट वाहनों के लिए पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।

स्रोत: TH

■■■■